भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधायी विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3316

जिसका उत्तर शुक्रवार, 23 मार्च, 2018 को दिया जाना है

**इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ वीवीपैट का प्रयोग**

**3316. श्री संजय राउत :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय के निदेशानुसार आगामी संसदीय चुनाव से पहले सभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रायल (वीवीपैट) से जोड़ दिया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में वीपीपैट के लिए क्या तैयारी है ;

(ग) क्या सरकार आश्वस्त करेगी कि वीपीपैट की गणना (100 प्रतिशत) की जाएगी और ईवीएम के परिणामों के साथ इसका मिलान किया जाएगा ; और

(घ) ईवीएम के साथ छेड़छाड़ संबंधी सभी संदेहों को दूर करने के लिए उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

**उत्तर**

**विधि और न्‍याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)**

**(क) और (ख) :** निर्वाचन आयोग ने यह सूचित किया है कि संसदीय और राज्‍य विधान सभाओं के सभी भविष्‍यवर्ती निर्वाचनों में 100 प्रतिशत वीवीपीएटी ईकाइयों का समावेश होगा । आयोग ने यह और पुष्‍टि की है कि 2019 में होने वाले लोक सभा निर्वाचनों के संचालन के लिए विनिर्माताओं द्वारा सितंबर, 2018 तक अपेक्षित संख्‍या में वीवीपीएटी ईकाई उपलब्‍ध करा दी जाएगी ।

**(ग) :** आयोग ने यह सूचित किया है कि लोक सभा और राज्‍य विधान सभाओं के सभी भविष्‍यवर्ती साधारण और उप-निर्वाचनों में प्रत्‍येक निर्वाचन क्षेत्र में यादृच्‍छिक रुप से एक मतदान केंद्र की वीवीपीएटी पेपर स्‍लिप का सत्‍यापन संचालित करने का विनिश्‍चय किया है । इसके अतिरिक्‍त, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 56 घ की निबंधनों में कोई अभ्‍यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता, किसी मतदान (केंद्रों) में प्रिंटर के ड्राप बाक्‍स में मुद्रित पेपर स्‍लिप की गणना करने के लिए लिखित रुप में रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे, जिस पर इस संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अध्‍यधीन रहते हुए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा ।

**(घ)** **:** निर्वाचन आयोग द्वारा आदेशित तकनीकी सुरक्षा, प्रशासनिक प्रोटोकोल और प्रक्रियात्‍मक सुरक्षा की वृहद श्रेणी ईवीएम की सत्‍यनिष्‍ठा, गैर परिवर्तनीयता और विश्‍वसनीयता को सख्‍त रुप से सुनिश्‍चित करती है । वीवीपीएटी ईकाइयों का प्रयोग निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता की वृद्धि करता है ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*